



## प्रेस नोट

### अभियुक्त के विरुद्ध कराया गया धारा 82 सीआरपीसी में प्राप्त उद्घोषणा आदेश का पालन

आज दिनांक 04.08.2022 को थाना द्वारा ललौली श्री आलोक कुमार पाण्डेय द्वारा थाना ललौली में पंजीकृत मु0अ0स0 135/2022 धारा 376(3)/452 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में फरार चल रहे वाँछित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र इंदर निवासी ग्राम बनियानी थाना ललौली जनपद फतेहपुर के विरुद्ध दिनांक 28.07.2022 को मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा जारी किये गये कुर्की के पूर्व के उद्घोषणा आदेश अन्तर्गत धारा 82 सीआरपीसी में अभियुक्त के घर व ग्राम पंचायत ग्राम बनियानी पर उक्त आदेश की एक एक प्रति चरपा कर समक्ष गवाह व ग्राम वासियों के सामने डुग्गी पिटवा कर उद्घोषणा आदेश पढ कर सुनाया गया। यदि अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र इंदर निवासी ग्राम बनियानी थाना ललौली जनपद फतेहपुर 10 दिवस के अन्दर मा0 न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण नहीं करना है तो उसके घर की कुर्की अन्तर्गत धारा 83 सीआरपीसी में की जायेगी। अभियुक्त घटना के समय से ही लगातार फरार चल रहा है न ही पुलिस की गिरफ्त में आ रहा है और न ही मा0 न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण कर रहा है।

उत्तर

प्रदेश

पुलिस

